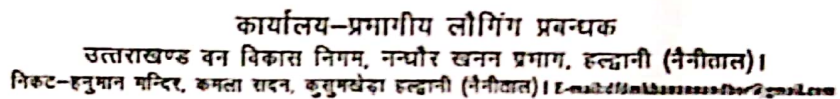


नवीर-पैताहा नदी में नवीर खेतन प्रमाण, स्वामी की अनामिक कड़वाही को अमरीकी निवासी सेटी तक खनन सत्र 2025-26 में नदी क्षेत्र में उपलब्ध प्रमाण कार्य में लगे ब्रिजियों, कार्यरत कार्यवाहियों, बाह्य स्वामियों आदि को निषेधित रूप से एक टैंकर / टैंकर टैंकर से सत्र देखकर अमरीकी एवं फ्रांसीसी से बाध्य से निषेध से अनामिक बाह्य कार्य पर पानी छिड़काव हेतु अमरीकी एवं फ्रांसीसी परियोजना कार्यवाहियों में ब्रिजियनिक पंजीकृत बाह्य स्वामियों/संस्थाओं से योगदान निषेध पंजीकृत ईमेल/टीएच पोस्ट/ कोरियर से निषेध निम्न कार्यक्रम में अनुसार अमरीकी की जाती है।

कस्त निविदाएं उपरोक्तानुसार अप्रैलमाह की कार्यलय में अतिरिक्त समिति द्वारा लोदी जावगी। समस्त निविदा प्रारत उत्तराखण्ड का विकास निगम की वेबसाईट: <http://www.ufdc.in/tenders.html> से डाउनलोड किये जा सकवें हैं। निविदा कार्य, हाई एवं लॉ कार्य तबत अरुई का पूर्ण शिपतत किती की कार्यशिरस/कार्य समय में २०-500.00 + जीएसटीडी नकद जमा कर इत कार्यलय से प्राप्त की जा सकवगी है।

इन्दीव तंमिन् इन्दीव
 उदरतन्मन् वन विद्यतं तन्मन्
 नन्दीव तन्मन् इन्दीव, इन्दीव



दिनांक- 9/10/2025

विषय-
मूल्यांकन.

1-	अमर उद्योग (सुप्रीम संस्करण)	दिनांक-10-11-2025
2-	सिद्धिमान सत्यगी (सुप्रीम संस्करण)	दिनांक-10-11-2025
3-	धैर्य ज्ञान सत्यगी (सुप्रीम संस्करण)	दिनांक-10-11-2025

महोदय,
 (निवेदन विध)
 आपकी तारीख २२/११/२०२०
 मध्यम कक्षा, गुरुकुल, गुरुकुल

निर्देशिका- निम्नलिखित की सेवा में तृप्त एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु है।

- 1- कृषि विभाग, आउटरीच वन विभाग निम्न, हैदराबाद।
- 2- मजदूर (सुप्रीम) आउटरीच वन विभाग निम्न, हैदराबाद।
- 3- डीपी कृषि (सुप्रीम) आउटरीच वन विभाग निम्न, हैदराबाद को अंतर्गत विभाग होने पर संबंधी कार्यवाही के लिए तत्पक्षी यथा करने हेतु।
- 4- मेधा कक्षा, कक्षा कक्षा कक्षा, हैदराबाद।
- 5- अंतर्गत क्षेत्र, कक्षा कक्षा कक्षा विभाग, आउटरीच वन विभाग निम्न, हैदराबाद को अंतर्गत सुप्रीम व विभाग को अंतर्गत सुप्रीम व अंतर्गत करने हेतु।
- 6- कार्यवाही के संबंध में।

दिनांक २२/०५/२०२०
 जयपुर जिला प्रमुख
 जयपुर जिला प्रमुख, जयपुर



कार्यालय- प्रभागीय लीमिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन प्रभाग नन्दीर, हरद्वारी।

(निविदा फार्म क्र० २० + जी०एस०टी०) फार्म मूल्य-500.00 + जी०एस०टी०

खनन सत्र 2025-26 में खनन प्रभाग नन्दीर एवं कैलाश नदी में उपस्थित गेटों में भूगर्भ कार्य में लगे श्रमिकों को खख फेजल आपूर्ति तथा गेटों में पानी छिड़काव हेतु निविदा फार्म

निविदादाता का नाम (अक्षित/फार्म/सोसायटी)-
 निविदादाता का पता (अक्षित/फार्म/सोसायटी)-
 दूरस्थ संख्या-
 निविदादाता की जी०एस०टी० संख्या -
 बैंक -
 जमा परलेख का विवरण :- बैंक संख्या
 दिनांक
 निविदादाता (रु) पनराशि (रु)

क.सं.	प्रभाग का नाम	कार्य विवरण	गेट का नाम	निकलना पानी उपलब्ध होने के स्थल से कार्य क्षेत्र तक की दूरी (किमी में)	बल मूल्य आदि सहित दर प्रति चक्कर	जी०एस०टी० पनराशि	कुल पनराशि	वमानत (रु० में) (प्रति गेट हेतु)
1	खनन प्रभाग नन्दीर हरद्वारी	वाणिज्यिक वाहन से नदी क्षेत्र में कार्यस्थल पर टैंकर खड़ाकर खख फेजल आपूर्ति तथा निकासी गेट मोटर मार्ग के 01 किमी की पाईपी में जल छिड़काव।	उकरीली	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
			एम०डी०आर०	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
			कड़ापानी	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
			नन्दीर टिनीव	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
			कड़ापानी प्रथम	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00

संलग्न प्रपत्रों का विवरण :- 1- उपरोक्त में जिस गेट हेतु दरें देनी है उसी गेट के आगे निविदा दर का उल्लेख किया जाए।
 गेट/समूह द्वारा निविदा शर्त भली-भाँति पढ़ एवं समझ ली गई है। उक्त निविदा शर्तों के साथ ही शासन एवं वन विभाग/वन विकास निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के पालन हेतु मैं बाध्य रहूँगा।
 निविदा शर्तों के अनुसार निम्न प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
 संलग्नक:- (1)- वमानत की एकूडि०आर/एस०टी०डी०आर० (मूल में), (2)- वाहन की आर०टी० तथा वाणिज्यिक का प्रमाण पत्र की स्वप्रामाणित छावपति। (4)- फिक्सी संख्या/संख्या/विभाग में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र यदि हो।

हस्ताक्षर निविदादाता
 नाम व पता -
 फोन / मो० नं०

- 4- निविदादाता के नाम वाणिज्यिक वाहन पंजीकृत होना आवश्यक है। निविदा के साथ वाणिज्यिक वाहन की आरसीओ व जीएसटीओ प्रमाण पत्र की स्वप्रामाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
- 5- निविदा के साथ निर्धारित अर्नेस्टमनी का एफडीओआर(एससीडीओआर बैंक से निर्गत जो कि "प्रभागीय लीमिंग प्रबन्धक , उत्तराखण्ड वन विकास निगम, सनन प्रमाण नवीर, हल्द्वानी" के पदनाम ब्यक्त हो , जो संलग्न करना अनिवार्य है। बिना अर्नेस्टमनी राशि के निविदा प्रथमदृष्टया ही अमान्य कर दी जाएगी। निविदादाता द्वारा जितने गेटों की दें देनी हैं उतने गेटों की अर्नेस्टमनी उपरोक्त विवरण के अनुसार जमा करनी आवश्यक होगी। बिना निर्धारित अर्नेस्टमनी के निविदा प्रथम दृष्टया अस्वीकृत कर दी जायेगी।
- 6- निविदादाता को निविदा के साथ फैन कार्ड , आधार कार्ड , वाणिज्यिक वाहन की वैध आरसीओ व जीएसटीओ पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वप्रामाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है। चिन्ता नम्बर निविदा फॉर्म में अंकित करना होगा। मींगे जाने पर उक्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- 7- निविदादाता द्वारा निविदा के साथ वाञ्छित संलग्न प्रपत्रों के वैध होने की पुष्टि सम्भागीय परिवहन कार्यालय से भी करावी जा सकती है। किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र लगाने पर सफल निविदादाता को बिना कारण बताये निरस्त करते हुए जमा जमानत जब्त कर ली जायेगी।
- 8- निविदा में अंकित दैजलमूल्य, दुलान खय आदि समस्त खय सम्मिलित करते हुए प्रति चक्कर / प्रति टैंकर देनी होगी। टैंकर की क्षमता न्यूनतम 4000 लीटर होनी चाहिए। सफल निविदादाता का उत्तरदायित्व है कि ये सम्भागीय परिवहन कार्यालय द्वारा जारी मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित नियमों का पालन करें। किसी प्रकार का नियमों का उल्लंघन करने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।
- 9- निविदादाता द्वारा , निविदा में कार्य दर एवं कर का स्पष्ट एवं अलग-अलग उल्लेख किया जाना आवश्यक है। अलग से किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा अस्पष्ट एवं ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगी। यह दैज सम्पूर्ण खनन सत्र 2025-26 के लिये लागू भानी जायेगी। उक्त अवधि में दैजों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जायेगी। निविदादाता को भुगतान से पहले अपना बिल (Invoice) प्रस्तुत करना होगा। तभी भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 10- कार्य की आवश्यकता को देखते हुए निर्धारित चक्कर से अधिक/कम चक्कर सम्बन्धित निविदादाता को लगाने पड़ सकते हैं , जिसका चक्करों के अनुसार भुगतान स्वीकृत दैजों पर किया जायेगा। समान्यतया बारिश के दिन एवं अवकाश के दिन पानी छिड़काव एवं जलापूर्ति करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- 11- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा निविदा दर स्वीकृत होने के उपरान्त सफल निविदादाता को मीके पर पेयजल आपूर्ति एवं छिड़काव कार्य अग्रोहेस्ताक्षरी के कार्यालय से कावादेश जारी होने के उपरान्त वन विकास निगम के सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी/गेट इंचार्ज की देखरेख एवं उनकी मींग के अनुसार करना होगा। सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा सन्तोषजनक कार्य करने का प्रमाण पत्र जारी करने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- 12- सफल निविदादाता को पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन के चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस /आधार कार्ड सम्बन्धित गेट पर जमा करना होगा। कार्य के दौरान चालक बटला जाता है तो सफल निविदादाता को नये चालक के उपरोक्त प्रपत्रों की छायाप्रति सम्बन्धित गेट पर जमा करनी होगी।
- 13- सफल निविदादाता कार्य की आवश्यकता को देखते हुए निविदा में दिये गये वाहन के अतिरिक्त यदि अन्य वाहन स्वामी के वाणिज्यिक वाहन को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति एवं छिड़काव कार्य हेतु लगाना चाहता है तो उस कार्य के भुगतान का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।
- 14- भुगतान में नियमानुसार स्रोत पर आवक एवं जीएसटीओ (टीडीओएस) की घनराशि की कटौती की जाएगी, जिसे नियमानुसार राजकोष में जमा किया जायेगा।
- 15- सफल निविदादाता को पेयजल आपूर्ति हेतु स्वच्छ पेयजल से भरे टैंकर को मीके पर अनुभाग अधिकारी द्वारा बताये गये स्थान पर सड़ा रखना होगा तथा वह जल छिड़काव कार्य में प्रयोग नहीं किया जायेगा।
- 16- निविदादाता द्वारा जारी टैक्स इन्वॉइस की जीएसटीओ रिटर्न निर्धारित समय से फाईल की जायेगी। यदि उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा भुगतान की गई जीएसटीओ की घनराशि जीएसटीओपोर्टल पर GSTAR 2A में प्रदर्शित नहीं हुई, जिस कारण भुगतान की गई जीएसटीओ का ITC Claim नहीं मिला तो उसकी वसूली निविदादाता के आगामी भुगतान से कर ली जायेगी अथवा जमा जमानत से की जायेगी।
- 17- सफल निविदादाता को कावादेश जारी होने से पूर्व रु०-100.00 (एक सौ) के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा। सफल निविदादाता को कावादेश के उपरान्त सफल निविदादाता को कावादेश के अनुसार निर्धारित समय के अन्दर स्वच्छ पेयजल आपूर्ति शुद्ध गुणवत्ता मानकों के अनुसार करनी होगी तथा उल्लिखित शर्तों का अनुपालन न करने की दशा में उसके द्वारा जमा की गयी जमानत घनराशि को जब्त करने का अधिकार प्रभागीय लीमिंग प्रबन्धक का होगा।
- 18- सफल निविदादाता को किसी भी प्रकार के कार्य के प्रति लापरवाही तथा समय पर कार्य सम्पन्न न करने पर भुगतान नहीं किया जायेगा तथा जमानत जब्त कर ली जायेगी कभी किसी भी परिस्थिति में पेयजल आपूर्ति एवं छिड़काव न करने पर विभाग द्वारा बाजार दैजों पर कार्य करवाया जायेगा जिस पर हुए अधिक खय की कटौती सफल निविदादाता से की जायेगी।
- 19- कार्य विवरण उपरोक्तानुसार अनुमानित है , किन्तु कमी/वृद्धि सम्भावित है। तात्कालिक वास्तविक आवश्यकता के अनुसार कावादेश जारी किया जाएगा। वास्तविक कार्य के आधार पर भुगतान किया जाएगा।
- 20- एक समान न्यूनतम निविदा दर होने पर उसे शासकीय संस्थान/संस्था/विभाग में कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कार्य में वरीयता दी जायेगी।
- 21- निविदा आशिक या पूर्ण रूपेण किसी सत्र पर निरस्त/स्थगित होने की दशा में कोई स्वेमा/प्रत्वावेदन मान्य नहीं होगा।
- 22- निविदा न्यूनतम दर के आधार पर स्वीकृत की जाएगी , किन्तु किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पास सुरक्षित है। कावादेश एकमुस्त या क्रिस्तों में जारी किया जा सकता है। कावादेश के अनुसार निर्धारित समय के अन्दर स्वच्छ पेयजल आपूर्ति शुद्ध गुणवत्ता मानकों के अनुसार करनी होगी। निर्धारित समयावधि में आपूर्ति न होने की दशा में निविदा निरस्त कर जमानत जब्त कर ली जायेगी तथा वन निगम किसी अन्य से कार्य कराने हेतु स्वतन्त्र होगा।
- 23- खनन सत्र समाप्त होने के उपरान्त स्वच्छ पेयजल आपूर्ति एवं पानी छिड़काव कार्य का सम्बन्धित कर्मचारी/अनुभाग अधिकारी से सन्तोषजनक कार्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही ब्यक्त घनराशि वापस की जायेगी।
- 24- किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में मामले को आर्बीट्रेटर के सम्मुख भेजा जाएगा जो कि प्रबन्ध निदेशक , उत्तराखण्ड वन विकास निगम , देहरादून द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- 25- किसी भी प्रकार का कानूनी विवाद होने की स्थिति में विधिक कार्य क्षेत्र (Legal Judicial) नैनीताल जनपद में होगा।

संलग्न- खसोपरी।


प्रभागीय लीमिंग प्रबन्धक
सनन प्रमाण नवीर, हल्द्वानी



कार्यालय प्रभागीय लीगिंग प्रबन्धक (खनन) नव्यौर, उत्तराखण्ड वन विकास निगम
कमला सदन निकट हनुमान मन्दिर, कुसुमसेड़ा, हल्द्वानी (नैनीताल)

Phone – 05946-264460

Email – dfdmkhanannandhor@gmail.com

कार्यालय / ई-मेल द्वारा

उपसन्निज निकासी गेटो मे पेयजल आपूर्ति एवं जल छिड़काव हेतु निविदा सूचना

इस कार्यालय के पत्रांक-755/निविदा पेयजल आपूर्ति एवं जल छिड़काव, दिनांक-09-10-2025 द्वारा नव्यौर एवं कैलाश नदी में खनन प्रभाग नव्यौर, हल्द्वानी के अन्तर्गत कड़पानी प्रथम से उकरोली निकासी गेटों तक खनन सत्र 2025-26 में नदी क्षेत्र में उपसन्निज पुगान कार्य में लगे श्रमिकों, कार्यरत कर्मचारियों, वाहन स्वामियों आदि को निविदा रूप से टूक टैंकर / ट्रेक्टर टैंकर से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति एवं पूल आदि से बचाव के लिए गेट के आस-पास वाहन मार्गों पर पानी छिड़काव हेतु जीएसटीडीसी एवं सम्भागीय परिवहन कार्यालय में वाणिज्यिक पंजीकृत वाहन स्वामियों/फर्म/सोसायटी से मोहरबन्द निविदाएं पंजीकृत डॉक/स्पीड पोस्ट/ कोरिडर से निविदा निम्न कार्यालय के अनुसार आमन्त्रित की गयी है।

क्र. सं०	फर्म पंतिरण का दिनांक व समय	फर्म जमा करने का अंतिम दिनांक व समय	प्राप्त निविदा खोलने का दिनांक व समय	कार्यालय का पता
1	11-10-2025 से 03-11-2025 (कार्यालय समयानुसार)	04-11-2025 अपराह्न 01:00 बजे तक	04-11-2025 अपराह्न 3:30 बजे	प्रभागीय लीगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन प्रभाग नव्यौर, हल्द्वानी, कमला सदन निकट हनुमान मन्दिर कुसुमसेड़ा, हल्द्वानी

प्राप्त निविदाएँ उपरोक्तानुसार अपेक्षाकारी के कार्यालय में अधिकृत समिति द्वारा खोली जायेगी। समस्त निविदा पत्र उत्तराखण्ड वन विकास निगम की वेबसाइट <http://www.ualdc.in/tenders.html> से डाउनलोड किये जा सकते हैं। निविदा फॉर्म, शर्तें एवं कार्य स्थल आदि का पूर्ण विवरण किसी भी कार्यालय/कार्य स्थल में 800-500.00 + जीएसटीडीसी नकद जमा कर इस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

प्रभागीय लीगिंग प्रबन्धक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
खनन प्रभाग नव्यौर, हल्द्वानी

1- उपसन्निज निकासी गेटो मे पेयजल आपूर्ति एवं जल छिड़काव हेतु निविदा की शर्तें एवं कार्य विवरण :-

कार्य विवरण

क्र.सं०	उपसन्निज निकासी गेट का नाम	प्रतिदिन पानी की आवश्यकता	जमानत पत्रांश (रु०)	अव्युक्ति
1	कड़पानी प्रथम	01 से 02 टैंकर आवश्यकतानुसार	10000.00	नदी नदी क्षेत्र में कार्यस्थल पर स्वच्छ पेयजल आपूर्ति तथा गेट के दोनों ओर 01 किमी० मोटर मार्ग पर जल छिड़काव करना होगा।
2	नव्यौर द्वितीय	01 से 02 टैंकर आवश्यकतानुसार	10000.00	
3	कड़पानी	01 से 02 टैंकर आवश्यकतानुसार	10000.00	
4	एमबीडीआर प्रथम	01 से 02 टैंकर आवश्यकतानुसार	10000.00	क्षेत्र में कार्यस्थल पर स्वच्छ पेयजल आपूर्ति तथा गेट के दोनों ओर 01 किमी० मोटर मार्ग पर जल छिड़काव करना होगा।
5	एमबीडीआर	01 से 02 टैंकर आवश्यकतानुसार	10000.00	
6	उकरोली	01 से 02 टैंकर आवश्यकतानुसार	10000.00	

नोट - 1- पेयजल आपूर्ति एवं जल छिड़काव हेतु निविदादाता के नाम से जीएसटीडीसी में पंजीकरण तथा वाणिज्यिक वाहन सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में निविदादाता के नाम से पंजीकृत होना चाहिए।

2- एक वाणिज्यिक वाहन स्वामी को अधिकतम 02 गेटों हेतु निविदा देनी होगी। तदनुसार स्वच्छ पेयजल आपूर्ति एवं पानी छिड़काव की निविदा स्वीकार की जायेगी। यदि 02 गेट से अधिक गेटों की निविदा दी जाती है तो निविदादाता के पास तदनुसार वाणिज्यिक वाहन का होना आवश्यक है। तदनुसार निविदा के साथ आरटीसी की छावापति संलग्न करनी होगी। अन्यथा निविदा स्वतः ही निरस्त सम्झी जायेगी।

3- स्वच्छ पेयजल से भर टैंकर को मोके पर अनुपम अधिकारी द्वारा कावे गये स्थान पर खड़ा रखना होगा तथा वह जल छिड़काव कार्य में प्रयोग नहीं किया जायेगा।

4- निविदादाता को निविदा फॉर्म में निष्पक्षता पानी उपलब्ध होने के स्थान से कार्य क्षेत्र तक की दूरी (किमी०) को दर्शाते किया जाना अनिवार्य है।
5- उपरोक्त आवश्यकता की मात्रा अनुमानित है। जिसमें कमी / वृद्धि संगति है।

निविदा हेतु शर्तें

- 1- निविदा हेतु पता “ प्रभागीय लीगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन प्रभाग नव्यौर, हल्द्वानी, निरत- कमला सदन निकट हनुमान मन्दिर कुसुमसेड़ा, हल्द्वानी (नैनीताल)” निविदा सौलबन्द लिफाफे में होनी चाहिए। लिफाफे के ऊपर “ स्वच्छ पेयजल आपूर्ति एवं छिड़काव ” लिखा होना आवश्यक है।
- 2- स्वामी/फर्म/सोसायटी को उपरोक्त कार्य हेतु मोहरबन्द निविदा निर्धारित फॉर्म में स्वस्ताक्षर एवं मुहर लगाकर प्रेषित की जानी है। निविदा फॉर्म एवं शर्तें इस कार्यालय से दिनांक-03-11-2025 को अपराह्न 1:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में 800-500.00+ जीएसटीडीसी नकद जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं।
- 3- निविदा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट / कोरिडर के माध्यम से ही प्रेषित की जानी है। दस्ता निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। विलम्ब से प्राप्त डाक में किसी प्रकार के विलम्ब के लिए उत्तराखण्ड वन विकास निगम उत्तरदायी नहीं रहेगा। निर्धारित समय तक निविदा शर्तों के अनुसार वैध प्राप्त निविदाओं पर ही विचार किया जाएगा।